12 hrs.

.6917

RE: NON-OFFICIAL BUSINESS

Mr. Speaker: About the nonofficial business, I have just to state hat it would b more convenient for the Prime Minister if the second resolution is taken up first-Shri Hem Barua's resolution. So, I will take up that at 430. First, that resolution will be taken up.

12.01 hrs

RE: CALLING ATTENTION

भी बागडी (हिमार) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता

ग्रध्यक्ष महोदय : एक काम ग्रभी ख्त्म हुन्ना है, दूसरा शुरू नहीं हुन्ना । इस लिए इस वक्त व्यवस्था का कोई सवाल नहीं उठ सकता ।

श्री **क्षागड़ी**: मेरा सवाल झुगी झोंपडियों के बारे में है। उनको रोजाना गिराया जा रहा है

श्रध्यक्ष महोदय: मैं ने श्राप से बार बार कहा कि अगर आप को कोई शिकायत हो तो ग्राप जरा मेरे पास ग्राने कः तकलीफ किया करें ग्रौर मुझे बतलाएं, ग्रगर मैं कुछ कर सकता हूं तो करूंगा । इस तरह यहां खड़ा हो जाना तो उचित नहीं है। मुझे बार बार वहीं ग्रल्फाज ग्राप से कहने पड़ते हैं।

श्री बागड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी एक मिनट में एक ग्रर्ज सून लें। ग्रर्ज यह है कि ग्रापने कहा कि वहां ग्रा कर बताइए। लेकिन हमें पता तो लगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। हमको रिटिन मिलना चाहिए । स्राप का एक स्रादमी श्राता है श्रीर कह जाता है कि ग्रंडर कंसीडरेशन है। जो कालिंग अटेंशन नोटिस होता है उसका हम को लिखित जवाब मिलना चाहिए । यह कितना ग्रहम सवाल है। हजारों ग्रादिमयों 1 है घर गिराए जा रहे हैं।

श्रध्यक्ष महोदय : ग्रार्डर ग्रार्डर । श्रब श्राप इस बारे में स्पीच नहीं कर सकते। जब मेरे पास १५ नोटिस होते हैं और ११ बजने में दस या पांच मिनट बाकी रहते हैं। उस वक्त मैं सब को तहरीरी उत्तर नहीं दे सकता । इस बारे में मैं ने अपनी ग्रसमर्थता श्राप को बतलायी थी। जो श्राप को जबानी खबर भेजी जाती है उस पर ऐतबार करना चाहिए। श्रीर फिर भी ग्राप को कोई शिकायत हो तो मेरे पास आइए, मैं आप से बात करके उस कालिंग ग्रटेंशन नोटिस को निकाल सकता हं ग्रीर देख सकता हं ग्रीर जो हैं सकता है उसको करने के लिए वेशक तैयार हं।

श्री बागडी: मंं ने ता कल नोटिस दियाथा।

श्रध्यक्ष महोदय :ग्राप को जवाब मिल गया कि जेर गीर है। ग्रब ग्राप को इन्तिजार करना चाहिए जिस वक्त हो जाएगा ग्राप को इत्तिला दी जाएगं!।

12.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE STATEMENT OF CASES IN WHICH LOWEST

TENDERS HAVE NOT BEEN ACCEPTED The Minister of Supply in the Ministry of Economic and Defence

Coordination (Shri Hathi): Sir, I beg to lay on the Table a statement of cases in which the lowest tenders have not been accepted by the India Store Department, London and the India Supply Mission, Washington, during the half-year ending the 31st December, 1962. [Placed in Library, See No. LT-1045/63.]

UNDER NOTIFICATION DELIMITATION COMMISSION ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibudhendra Misra): Sir I beg to lay on the Table under sub-section (3) of section 10 of the Delimitation Commission Act, 1962 a copy of Order No. 1 of the Delimitation Commission published in Notification No. S. O. 874 dated the 21st March, 1963 determining the number of seats in Lok Sabha to be allocated to various States. [Placed in Library, see No. LT-1046/63.]